59

# न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. /16-17 निगरानी PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/4144

संजय व्यास पिता स्व. पुरुषोत्तम व्यास,
आयु-50 वर्ष, जाति-ब्राहमण, धंधा-कृषि एवं व्यापार,
निवासी-10 माचता कॉलोनी, भोपाल म. प्र.

............................ आवेदक

विरुद्ध

श्री पृथ्वी राज अग्रवाल ओ०
द्वारा आज दि. 2-11-17 को
प्रस्तुत
2-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पेशी दिनांक 8-11-17

Noted
8/11/17
F-Resp Agent

1. शैलेन्द्र कुमार पण्ड्या पिता स्व. चन्द्रशेखर पण्डया,
आयु-60 वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी-भागसीपुरा, छप्पन भैरव की गली, उज्जैन

2. राजेन्द्रकुमार पण्ड्या पिता स्व. चन्द्रशेखर पण्डया,
आयु-57 वर्ष, धंधा- ,निवासी-भागसीपुरा, छप्पन भैरव की गली, उज्जैन

............................ अनावेदक

विषय :- अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 68/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 28-08-2017 से असंतुष्ट होकर निगरानी धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता के अन्तर्गत :-

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / उज्जैन / भूरा / 17 / 4144**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **7–12–2017** | आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा न्यायहित में अनावेदक का 35(3) का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>**अध्यक्ष** | |